कार्यालय दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित बालोद जिला–बालोद (छ.ग.)

पंजीयन क्रंमाक–145 / REG. / दुर्ग / दिनांक 01.04.2002

वर्ष 2025–26

द्वितीय ई–निविदा क्रं. 176745, दिनांक 15 / 10 / 2025

प्रबंध संचालक
दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर
कारखाना मर्यादित–बालोद
जिला–बालोद (छ.ग.)

निविदा शुल्क– 1000 / –रू.

1) शुगर हाउस से 50 किलोग्राम के सिले हुए शक्कर बोरे को उठाकर स्वयं के ट्रेक्टर ट्राली में रखकर गोदाम तक पहुंचाना तथा ग्रेडर के अनुसार छलनी लगाने का कार्य। (शक्कर कारखाने का 01 वर्ष का अनुभव)

2) शुगर ग्रेडर खराब होने की स्थिति में अस्थाई शूट से शक्कर को ग्रेड के अनुसार 50 किलोग्राम के बोरे में भरना, तौलना, सिलाई करना तथा शुगर हाउस से शुगर गोडाउन तक 50 किलोग्राम के शक्कर के बोरे को पहुंचाकर ग्रेड के अनुसार छलनी लगाने का कार्य।(शक्कर कारखाने का 01 वर्ष का अनुभव)

3) शुगर गोडाउन से 50 किलोग्राम के शक्कर के बोरे स्वयं के गाड़ी में भरना तथा साफ–सफाई का कार्य। (शक्कर कारखाने का 01 वर्ष का अनुभव)

4) शुगर गोडाउन के फटे बोरों को ग्रेड के अनुसार 50 किलोग्राम के बोरे में भरना, तौलना, सिलाई करना व ग्रेड के अनुसार पुनः लॉट पर रखने का कार्य। (शक्कर कारखाने का 01 वर्ष का अनुभव)

5) प्रत्येक 50 किलोग्राम के वजन के अनुसार स्क्रेपिंग शुगर जो कि बोरो में भरकर हापर नम्बर 3 के पीछे रखी है को सी–मेग्मामिक्सचर में डालकर गलाने का कार्य। (शक्कर कारखाने का 01 वर्ष का अनुभव)

6) पेराई सत्र 2025–26 के समाप्ति के दौरान कान्टीन्युअस मशीनों से निकली ब्राउन शुगर को 50 किलोग्राम के बोरे में भरना, तौलना, सिलाई करना तथा शुगर हाउस से शुगर गोडाउन तक 50 किलोग्राम के ब्राउन शुगर के बोरे को पहुंचाकर छलनी लगाने का कार्य। (शक्कर कारखाने का 01 वर्ष का अनुभव)

7) पिछले वर्ष की ब्राउन शुगर या डेमेज शुगर को शुगर गोडाउन से स्वयं के ट्रेक्टर में भरकर धर्मकांटा से वजन कर सी–मेग्मामिक्सचर के पास पहुँचाकर, ब्राउन शुगर को बारीक तोड़कर मेग्मामिक्सचर में गलाई करने का कार्य।(शक्कर कारखाने का 01वर्ष का अनुभव)

8) पेराई सत्र 2025–26 की समाप्ति के बाद ब्वायलिंग हाउस एवं ड्रायर हाउस के सभी यंत्र–सयंत्र (पेन, क्रिस्टलाइजर, मेग्मामिक्सचर, पगमिल, हापर, शुगर ऐलिवेटर, सभी टेंक एवं फर्श) अन्दर व बाहर गीली व सूखी चीनी को खुरचकर प्रत्येक 50 किलोग्राम के वजन के अनुसार भरकर गोडाउन तथा हापर नं. 03 के पास रखने कार्य। (शक्कर कारखाने का 01 वर्ष का अनुभव)

9) पेराई सत्र 2025–26 की समाप्ति के बाद ब्वायलिंग हाउस एवं ड्रायर हाउस के सभी यंत्र–सयंत्र (पेन, क्रिस्टलाइजर, मेग्मामिक्सचर, पगमिल, हापर, शुगर ऐलिवेटर, सभी टेंक एवं फर्श) आदि के अंदर व बाहर पानी से धुलाई का कार्य। (शक्कर कारखाने का 01 वर्ष का अनुभव)

10) चूना, सल्फर व अन्य सामग्री को गाड़ी से अनलोड कर निर्धारित स्थान पर पहुंचाना व अन्य कार्य। (शक्कर कारखाने का 01 वर्ष का अनुभव)

11) चूना एवं सल्फर को चूना एवं सल्फर गोदाम से प्रत्येक दिन खपत के अनुसार लाइम लेकर एवं भट्ठी तक पहुंचाकर गलाने का कार्य ।(शक्कर कारखाने का 01वर्ष का अनुभव)

12) सीजन के दौरान एवं बाद में जूस हीटर के ट्यूबों (प्रत्येक हीटर में ट्युब की संख्या 320 लम्बाई 4 मीटर) की सफाई कार्य । (दर प्रति जूस हीटर)

13) सामान्य सफाई के दौरान एवं सीजन के बाद निम्न कार्य कराया जाता है सेमिकेशनल एवं क्वाड की 03 बॉडी तथा 04 पेन की सफाई का कार्य कटर एवं ब्रुश के द्वारा मोटर चलाकर किया जाना है जिसके पूर्व प्रत्येक बॉडी में आवश्यकतानुसार केमिकल की बताई गई निर्धारित मात्रा को डालने का कार्य। प्रत्येक बॉडी में ट्युब की संख्या एवं लम्बाई निम्नलिखित है:–

1. सेमीकेस्टनर ट्यूबों की संख्या 1316 लम्बाई 4500 एम.एम. (दर प्रति सेमीकेस्टनर)
2. क्वार्ड प्रथम बॉडी ट्यूबों की संख्या 3324 लम्बाई 2000 एम.एम. (दर प्रति क्वार्ड बॉडी)।
3. क्वार्ड द्वितीय बॉडी ट्यूबों की संख्या 1504 लम्बाई 2000एम.एम. (दर प्रति क्वार्ड बॉडी)।
4. क्वार्ड तृतीय बॉडी ट्यूबों की संख्या 940 लम्बाई 2000 एम.एम. (दर प्रति क्वार्ड बॉडी।)
5. पैन की ट्यूबो की सफाई पैनों की कुल संख्या 4 एवं ट्यूबो की संख्या प्रति पैन लगभग 1100 एवं लम्बाई 759 एम.एम. (दर प्रति बॉडी।)

14) केन केरियर के नीचे एवं आस–पास पड़े गन्ने को केनकेरियर में डालकर आस–पास सफाई रखना एवं ट्रक से गन्ना अनलोड करने का कार्य एवं प्रत्येक शिप्ट में 07 श्रमिक अनिवार्य है एवं आवश्यकता अनुसार बढ़ाये भी जा सकते हैं।

कार्यालय दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित बालोद
जिला–बालोद (छ.ग.)

तकनीकी भाग– 01

ई–निविदा प्रपत्र

ई–निविदा क्रमांक / 176745 / 2025–26 **दिनांक 15 / 10 / 2025**

कारखाने के पेराई सत्र **2025–26** हेतु विभिन्न ठेका कार्यों के लिए ई–निविदा आमंत्रित की जाती है जिसकी प्रक्रिया निम्नानुसार हैः–

1. ई–निविदा हेतु इच्छुक फर्मो / निविदाकार द्वारा भाग लेने के लिए ई–टेण्डर के वेबसाईट में जाकर ई–निविदा हेतु फार्म राशि 1311 / – रू. (1000 / –रू. + 311 / –रू. चिप्स के द्वारा ली जाने वाली सर्विस चार्ज) ऑनलाईन के माध्यम से जमा कर शासकीय ऑनलाईन वेबसाईट (E-Procurement Portal: http://eproc.cgstate.gov.in) से फार्म Upload किया जाना है।
2. ई–निविदा फार्म **दिनांक 27 / 09 / 2025 समय रात्रि 08:00 बजे से 15 / 10 / 2025** को संपूर्ण वांछित एवं सत्यापित दस्तावेजों के साथ **दोपहर 01:00 बजे तक** शासकीय ऑनलाईन वेबसाईट (**E-Procurement Portal: http://eproc.cgstate.gov.in**) मे अपलोड कर सकते है।
3. ई–निविदा दिनांक **15 / 10 / 2025 को दोपहर 02:00 बजे** पश्चात् क्रय समिति / निविदाकारों के समक्ष खोला जाएगा जिसमें निविदाकार / उनके अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं।
4. ई.एम.डी. राशि – निविदाकार को ई.एम.डी. राशि रूपये 50,000 / –(पचास हजार रूपये मात्र) कारखाने के खाते में RTGS के माध्यम से खाता क्रंमाक **31360100006799**, IFSC Code- **BARB0BALODX** बैक ऑफ बडौदा बालोद में **दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित बालोद** के नाम से जमा करना होगा। RTGS/NEFT के माध्यम से ही ई.एम.डी. राशि जमा करना अनिवार्य होगा, ई.एम.डी. की राशि कारखाने के खाते में जमा नही होने पर आपकी निविदा निरस्त मानी जाएगी।

प्रबंध संचालक
दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना
मर्यादित–बालोद
जिला–बालोद (छ.ग.)

आवश्यक जानकारीः–

1. ठेकेदार/फर्म का नाम ....

2. पता ....

....

....

3. मोबाइल नंबर ....

4. ई.एम.डी. जमा राशि .... शब्दों में ....

5. आरटीजीएस नंबर एवं दिनांक ..../........../.........

6. बैंक जिसके द्वारा खाते में जमा किया गया ....

फर्म का नाम एवं हस्ताक्षर

कार्यालय दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित बालोद
जिला–बालोद (छ.ग.)
तकनीकी भाग–02

ई–निविदा प्रपत्र

Main Portal: http://eproc.cgstate.gov.in

ई–निविदा क्रमांक / 176745 / 2025–26 **दिनांकः– 15 / 10 / 2025**

ई–निविदा हेतु कार्य करने के इच्छुक निविदाकार / फर्म निविदा में भाग लेने के लिए **http://eproc.cgstate.gov.in/** पर निविदाओं की अन्य सभी शर्त और योग्यता के लिए मानदंड आदि को निविदा दस्तावेज में निर्दिष्ट किया गया है। संलग्न / शामिल की जाने वाली आवश्यक दस्तावेजः–

1. ठेकेदार / फर्म का नाम ....

2. पता ....

....

....

3. मोबाइल नंबर ....

4. ई–मेल आई.डी. ....

5. जी.एस.टी. नंबर ....

6. फर्म का पैनकार्ड नंबर ....

7. बैंक का नाम ....

8. खाता क्रमांक ....

9. आयकर रिटर्न ....

10. भविष्यनिधि पंजीयन प्रमाण पत्र ....

11. अनुभव प्रमाण पत्र ....

फर्म का नाम एवं हस्ताक्षर

अनुबंध की नियम एवं शर्तें–

1. निविदा प्रपत्र तीन लिफाफा में जमा करना अनिवार्य है। ई.एम.डी. संबंधी बिड – एक, तकनीकी बिड– दो एवं व्यावसायिक बिड– तीन ।
2. निविदाकार को तकनीकी बिड–दो के साथ जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की छायाप्रति, पैन नंबर की छायाप्रति अपलोड करना अनिवार्य होगा।
3. निविदाकार को छत्तीसगढ़ के किसी भी शक्कर कारखाने के ब्लेक लिस्ट (काली सूची) में शामिल होने पर निविदा में अपात्र किया जाएगा। निविदाकार को उक्त संबंध में निविदा फार्म में नीचे दर्शित सत्यनिष्ठ वचन को भरकर हस्ताक्षर व मुहर सहित के साथ जमा करना अनिवार्य होगा।
4. ई–निविदा तकनीकी बिड– दो में निविदा के शर्त अनुसार मांगे गये सभी डाक्यूमेन्ट को अपलोड किया जाना होगा एवं व्यावसायिक बिड–तीन में दिये गये स्थान पर सिर्फ दर प्रस्तुत किया जाना होगा।
5. कारखाने से संबंधित कार्य का दर जी.एस.टी. रहित दिया जाना होगा एवं देयक भुगतान हेतु जी.एस.टी. देयक दिया जाना अनिवार्य होगा एवं जी.एस.टी. समय पर भुगतान किया जाना अनिवार्य होगा, जिससे कारखाना द्वारा जी.एस.टी. का क्रेडिट लिया जा सके जी.एस.टी. का क्रेडिट नही मिलने पर ई.एम.डी. अथवा अन्य देयक राशि से कटौती की जावेगी।
6. जी.एस.टी. के अतिरिक्त अन्य कर का भुगतान ठेकेदार को करना होगा।
7. नियमानुसार टेक्स आदि की कटौती की जावेगी।
8. फर्म द्वारा विगत 02 वर्षों में कम से कम 01 वर्ष का आयकर रिटर्न प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।
9. ठेकेदार को निविदा भरते समय भविष्यनिधि पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है एवं प्रतिमाह उनके कार्य का भुगतान गत माह के पी.एफ. की कापी (ECR & Challan) जमा करने के पश्चात् ही भुगतान किया जाएगा।
10. उक्त कार्य में लगे मजदूरों की लिस्ट शिफ्ट वार प्रत्येक दिन टाईम ऑफिस में संबंधित अधिकारी के पास जमा करना अनिवार्य होगा।
11. कारखाना में कार्यरत मजदूरों का श्रम विभाग के नियमानुसार बीमा होना अनिवार्य है, यदि किसी दुर्घटना में मजदूर को कोई क्षति होती है तो ठेकेदार स्वयं उत्तरदायी होंगे, कारखाना प्रबंधन इसके लिये जवाबदार नहीं होगा।
12. श्रमिकों की सुरक्षा उपकरण (हेलमेट, जूता, बेल्ट, दस्ताने, चश्मा), परिचय पत्र (आई.कार्ड), यूनिफार्म/ड्रेस इत्यादि प्रदाय की सम्पूर्ण जिम्मेदारी श्रमिक ठेकेदार की होगी।
13. गोदाम में छल्ली की ऊंचाई प्रबंध संचालक के निर्देशानुसार होगी इसके लिए स्ट्रेकर प्रदाय किये जाएंगे छल्ली लगाना उत्पादन के आधार पर प्रबंधन के निर्देशानुसार बोरी की उंचाई कम एवं ज्यादा किया जाएगा। प्रत्येक दिवस के कार्य का पूर्ण विवरण गोडाउन कीपर को देना अनिवार्य होगा।
14. लाट लगाने के पूर्व गोडाउन के फर्श पर बाम्बूमेट डालना तथा उसके ऊपर तारपोलिन डालना। लाट लगाने के पश्चात् लाट पर सही ढंग से तारपोलिन डालना ताकि वर्षा या नमी से शक्कर बोरी खराब ना हो तथा गोडाउन को साफ सुथरा रखना हमाल ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी।

15. शक्कर भरने के लिए आई गाड़ी को गोडाउन कीपर द्वारा बताई गई मात्रा एवं निर्देशित किए गए समयानुसार शक्कर की बोरी गिनकर लोड करना।
16. गाड़ी लोड करते समय बोरी में शक्कर कम अथवा ज्यादा की शंका होने पर बोरी को तौलकर भरना।
17. शक्कर किसी भी कारणवश गिली हो जाती है तो गिली बोरी को लोड न करना एवं अलग से लाट लगाना।
18. फर्मो द्वारा कारखाने के आपूर्ति सामाग्रीयों (चूना, सल्फर व अन्य सामाग्रीयों)को प्रबंधन के निर्देशानुसार निर्धारित स्थानों पर खाली कर व्यवस्थित रूप से रखने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
19. शुगर गोडाउन एवं हापर नं. 3 के पीछे से पुराने शक्कर गलाई हेतु चीफ केमिस्ट के निर्देशानुसार ले जाना होगा।
20. ट्यूब क्लिनिंग कार्य में लगने वाली आवश्यक सामग्री (केमिक्ल कटर ब्रश)कारखाने द्वारा उपलब्ध कराई जावेगी।
21. प्रत्येक चूना चट्टे की गिनती लाट नंबर दर्ज रजिस्टर में किया जाना अनिवार्य होगा और इसे कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा (प्रतिदिन)।
22. चूना हाऊस में नीचे गिरी चूना को बोरी में भरना सिलाई करना आपकी जवाबदारी होगी।
23. चूना और चूना गोदाम साफ–सुथरा रखने का कार्य।
24. ठेकेदार को कारखाना अधिनियम, श्रम अधिनियम एवं अन्य संबंधित नियमों का पालन करना होगा।
25. कार्य के दौरान सुरक्षा की व्यवस्था स्वयं को करना होगा।
26. कार्य प्रभावित होने की स्थिति में प्रति घंटा 2000.00 आर्थिक दण्ड किया जायेगा, जो भुगतान बिल की राशि से कटौती की जाएगी।
27. निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने अथवा किसी भी प्रकार से विवाद की स्थिति में कारखाना प्रबंधन का निर्णय अंतिम और मान्य होगा।
28. किसी भी प्रकार का वाद की स्थिति में सक्षम न्यायालय (सहकारिता विभाग) में ही सुनवाई/वाद दायर किया जा सकेगा।
29. प्रबंध संचालक को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी शर्त को विलोपित करने मात्रा घटाने बढ़ाने, निविदा निरस्त करने एवं कार्यादेश निरस्त करने संबंधि पूर्ण अधिकार होगा।
30. ठेकेदार का कार्य संतोषजनक नहीं होने की स्थिति में प्रबंधन द्वारा बिना पूर्व सूचना के ठेकेदार का कार्य आदेश निरस्त कर ई.एम.डी. राशि जब्त कर ली जावेगी।
31. कारखाना परिसर में धुम्रपान वर्जित होगा।
32. नशे की हालत में किसी भी श्रमिक का कारखाने में प्रवेश वर्जित रहेगा, यदि किसी भी श्रमिक को नशे की हालत में पाया जाता है तो श्रमिक को कार्य से बाहर कर दिया जावेगा तथा ठेकेदार के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
33. कार्य आदेश प्राप्ति के 07 दिवस के भीतर प्रबंधन के साथ अनुबंध करना अनिवार्य होगा, अनुबंध नहीं करने की दशा में देयक का भुगतान नहीं किया जायेगा।
34. कारखाना प्रबंधन का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

35. श्रमिक ठेकेदारों द्वारा किसी भी श्रमिक सुपरवाईजर नियोजित नहीं किये जावेगें। आवश्यकतानुसर मात्र श्रमिक नियोजित किए जावेगें।
36. श्रमिकों को अपने शिफ्ट कार्यरत मेन्युफेक्चरिंग केमिस्ट/चीफ केमिस्ट/चीफ इंजिनियर के निर्देशन में कार्य करना अनिवार्य होगा।
37. श्रमिकों को अपने शिफ्ट में आने वाले श्रमिकों के उपस्थित होने तक कार्य करना अनिवार्य होगा।
38. यदि किसी कारण वश फैक्ट्री बंद रहते है तो इसके द्वारा सप्लाई आदमी का कार्य मेन्यूफेक्चरिंग केमिस्ट द्वारा कहीं भी फैक्ट्री में उपयोग किया जा सकता है।
39. यदि आवश्यकता पड़ने पर कास्टीक बायलिंग संबंधित केमिकल/अन्य सामग्री चढ़ाने का कार्य करना अनिवार्य होगा।
40. पक्षकार क्रमांक 02 श्रमिक ठेकेदार को संविदा श्रमिक (नियमन एवं समाप्ति) अधिनियम 1970 की धारा 12 के तहत श्रमिक नियोजित हेतु वैध अनुज्ञप्ति धारी होना अनिवार्य होगा। या कार्य प्राप्त होने पर 15 दिनों में अनुज्ञप्ति (पंजीयन) प्राप्त कर प्रस्तुत करेंगें।
41. द्वितीय पक्षकार प्रचलित श्रम नियमों कानूनों तथा कारखाना में ठेका श्रमिकों की सेवाएं प्रदान करने संबंधित समस्त नियमों एवं कानूनों और इस संबंध में शासन द्वारा जारी निर्देशों के साथ ही कारखाना प्रबंधन द्वारा जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन करेगा।
42. द्वितीय पक्षकार द्वारा अनुबंध के 15 दिवस के भीतर श्रमिक पंजीयक (लाईसेंस) उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
43. द्वितीय पक्षकार द्वारा उपलब्ध कराये गये ठेका श्रमिक कारखाना के अधिकारियों के निर्देशन में ही कार्य संपन्न करेंगें। ठेका श्रमिकों द्वारा आदेशों के अवहेलना करने/कारखाना को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति पहुंचाने या अवांछनीय गतिविधियों तथा हड़ताल विरोध प्रदर्शन तालाबंदी, कामबंदी इत्यादि में संलिप्त रहने अथवा कार्य में गुणवत्ता का अभाव पाये जाने की स्थिति में प्रबंधन के निर्देश पर ऐसे ठेका श्रमिकों को तत्काल कार्य से पृथक करना होगा। तथा कारखानें के द्वारा मांग किये जाने पर उसके स्थान पर नया ठेका श्रमिक उपलब्ध कराना होगा।
44. द्वितीय पक्षकार द्वारा उपलब्ध कराया गया कोई भी ठेका श्रमिक कारखाने द्वारा नियोजित कर्मचारी/ठेका श्रमिक नहीं कहलायेगा। ठेका श्रमिक का नियोक्ता संबंधित श्रमिक ठेकेदार ही रहेगा।
45. श्रमिक ठेकेदार यदि किसी ठेका श्रमिक को कार्य से पृथक करता है तो उसको जारी परिचय पत्र अनिवार्य रूप से निरस्त कर पक्षकार क्रमांक 01 को लिखित रूप से सूचित करने की जिम्मेदारी पक्षकार क्रमांक 02 की रहेगी।
46. प्रत्येक सीजन की समाप्ति अथवा अनुबंध समाप्ति होने पर संबंधित ठेका श्रमिकों से परिचय पत्र की वापस लेने की जिम्मेदारी पक्ष क्रमांक 02 की रहेगा। ताकि उक्त परिचय पत्र का किसी प्रकार का दुरूपयोग ना हो पाये।

47. परिचय पत्र का प्रारूप निम्नानुसार रहेगा :—

<u>**परिचय पत्र**</u>

PHOTO

1. नाम / पिता या पति का नाम...
....
2. स्थानीय पता...
3. पद / मजदूरी दर..
4. बैंक का नाम व खाता नंबर..
5. ठेकेदार / फर्म का नाम एवं पता...
6. प्रमुख नियोक्ता का नाम एवं पता...

निर्देशः—

1 जिस व्यक्ति को यह परिचय पत्र जारी किया गय है वह इसकी सुरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा।
2 यह परिचय पत्र स्थानांतरण होने / सेवामुक्त / कार्य से पृथक होने पर वापस किया जायेगा।
3 परिचय पत्र की खो जाने ठेकेदार अथवा प्राधिकृत अधिकारी को इसकी सूचना दी जावें।
4 पुनः कार्ड बनवाने पर निर्धारित शुल्क देय होगा।
5 यह परिचय पत्र अहस्तांतणीय है।

48. पक्षकार क्रमांक 02 की यह जिम्मेदारी होगी कि उसके द्वारा उपलब्ध कराये गये समस्त ठेका श्रमिक कार्य के दौरान अनिवार्य रूप से फोटोयुक्त परिचय पत्र गले में अथवा जेब के उपर दृष्टिगोचार स्थान पर अनिवार्य रूप से लगावें।

49. यदि कोई ठेका श्रमिक कार्य छोड़ देता है अथवा संबंधित ठेकेदार उसे कार्य से पृथक कर देता हैं उस स्थिति में उन ठेका श्रमिकों को व्यक्तिगत ईपीएफ खाते में जमा राशि को संबंधित ईपीएफ कार्यालय से भुगतान दिलाने की जिम्मेदारी संबंधित श्रमिक ठेकेदार पक्षकार क्र. 02 की ही होगी।

50. पक्षकार क्र. 02 के द्वारा उपलब्ध कराये गये ठेका श्रमिकों को कारखानें द्वारा निर्धारित मान से पारिश्रमिक का भुगतान संबंधित ठेकेदार को ही किया जावेगा। संबंधित ठेकेदार की यह जिम्मेदारी होगी कि वह अपने श्रमिकों को तीन दिवस के भीतर उनके बैंक खातों के माध्यम से कारखाना से प्राप्त पारिश्रमिक का भुगतान अनिवार्य रूप से करें। पारिश्रमिक भुगतान में चूक करने पर संबंधित ठेकेदार के विरूद्ध पक्षकार क्र. 01 के द्वारा वैधानिक कार्यवाही की जावेगी एवं भुगतान व कर जमा की चालान प्रति जमा करना होगा।

51. यदि किसी कारण से द्वितीय पक्षकार कारखाना को ठेका श्रमिक उपलब्ध कराने में असमर्थ रहता है तो एक माह पूर्व प्रथम पक्षकार को लिखित सूचना करना अनिवार्य होगा। अन्यथा अमानत राशि जब्त करने के अलावा कारखानें को होने वाले क्षति के भरपाई के लिए दावा भी किया जा सकेगा।

52. उभय पक्षों के बीच हुऐ अनुबंध की शर्तों को समस्त ठेका श्रमिकों को अवगत कराना द्वितीय पक्षकार का उत्तर दायित्व होगा।

53. यह अनुबंध पेराई सत्र 2025—26 की समाप्ति तक ही मान्य होगा। किन्तु कारखाना प्रबंधन कार्य की आवश्यकता आधार पर किसी भी समय अनुबंध समाप्त कर सकेगा।

54. द्वितीय पक्षकार द्वारा उपलब्ध कराया गया ठेका श्रमिकों के संबंध में जानकारी तथा ठेका श्रमिक का नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, शैक्षणिक योग्यता, व्यावसायिक योग्यता, कार्यानुभव, वर्तमान पत्र व्यवहार का पता, पूर्ण स्थाई पता, बैंक खाता क्रमांक, बैंक का नाम, ब्लड ग्रुप, ठेका श्रमिक के व्यक्तिगत ईपीएफ खाता नं. की जानकारी अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जायेगा। आवश्यकता पड़ने पर किसी ठेका श्रमिक के संबंध में चरित्र सत्यापन संबंधी प्रमाण पत्र, संबंधित विभाग, संबंधित थाने से प्राप्तकर प्रथम पक्षकार के समक्ष प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी भी द्वितीय पक्षकार की रहेगी।

55. द्वितीय पक्षकार की जिम्मेदारी होगी कि उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये ठेका श्रमिक शाररिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ्य हो। तथा श्रम नियमो के अनुसार बाल श्रमिक ना हो।

56. श्रम पदाधिकारियों द्वारा दिये गये निर्देशों/आदेशों का पालन करना एवं श्रम विधि के अनुकूल वांछित दस्तावेज खाखा संधारण करना तथा आवश्यकता अनुसार सक्षम अधिकारियों से उक्त दस्तावेजों के निरीक्षण कराने की जिम्मेदारी भी द्वितीय पक्षकार की होगी।

57. पक्षकार क्रं. 02 के द्वारा उपर्युक्त शर्तों में से किसी भी शर्त/शर्तों का उल्लंघन होने पर कार्य समाप्त कर श्रमिक ठेकेदार को काली सूची में दर्ज किया जाकर कार्य से पृथक किया जायेगा। तथा उनके ठेका श्रमिकों को आवश्यकतानुसार अन्य पंजीकृत श्रमिक ठेकेदार के माध्यम से कार्य पद लिया जावेगा।

58. कार्य की प्रकृति के आधार पर उक्त नियम एवं शर्ते के उपबन्ध लागू की जावेगी।

<u>अनुबंध</u>

हम प्रथम एवं द्वितीय पक्ष उपर दर्शाये गये शर्तों को पढ़कर एवं समझकर अनुबंध पत्र आज दिनांक...को स्थान...में निष्पादित करते है।

प्रथम पक्षकार	**द्वितीय पक्षकार**
दं.मै.स.श.का.मर्या.बालोद	श्रमिक ठेकेदार / ठेकेदार फर्म का नाम
हस्ताक्षर..	हस्ताक्षर..
नाम / पदनाम...	नाम / पदनाम...
....	....
पूर्ण पता...	पूर्ण पता...
....	....
....	....
गवाह– 01	....
नाम..	
हस्ताक्षर..	
गवाह–02	
नाम..	
हस्ताक्षर..	

सत्यनिष्ठा वचन पत्र

मैं .... फर्म ....

प्रतिनिधि का नाम ....पिता का नाम ....

.... पता .... का निवासी हूॅ मैं शपथ पूर्वक कथन करता हूॅ कि

1. मेरे द्वारा कोड दिया गया दर न्यूनतम है एवं इससे कम दर पर कार्य नही करूंगा।
2. मेरे द्वारा कोड कि गई सामग्री/कार्य का व्यापार किया जाता है जिसकी समस्त जानकारी मुझे है।
3. मुझे पूर्व कार्यादेशों की सामाग्री/कार्य सही समय में एवं गुणवत्ता के अनुसार पूर्ण की गई है।
4. मैनें निविदा में भाग लेने या कार्य आदेश प्राप्त करने के उद्देश्य से संस्था के किसी कर्मचारी/अधिकारी से कोई सम्पर्क नही किया है और नही कोई अनुचित लाभ प्राप्त हो।
5. मैंने अपना दर प्रस्तुत किया है ई.एम.डी. राशि रूपये कारखाना के खाता क्रमांक .... में राशि रूपये .... दिनांक ....को संस्था के पक्ष में जमा किया है यदि मेरे द्वारा दी गई किसी भी प्रकार की जानकारी असत्य पाई जाती है अथवा कार्य में विलम्ब किया जाता है या सही गुणवत्ता का नही पाया जाता है तो समस्त ई.एम.डी. राशि संस्था के पक्ष में जप्त करने हेतु अधिकृत करता हूॅ।
6. मेरे द्वारा दी गई समस्त जानकारी मेरे ज्ञान के अनुसार सही और सत्य है जिनके गलत पाये जाने पर कारखाना प्रबंधन द्वारा किसी भी स्तर पर निविदा/क्रय आदेश निरस्त कर सकती है एवं मैं/फर्म का नाम छत्तीसगढ़ के किसी भी शक्कर कारखाने के ब्लेक लिस्ट (काली सूची) में नही है। उक्त जानकारी गलत होने पर कारखाना प्रबंधन को मुझे/फर्म को निविदा से अपात्र करने का अधिकार होगा। शक्कर कारखाना द्वारा निर्धारित नियम/शर्त/प्रक्रियाओं को पढ़ और समझ लिया है जो मुझे मान्य है।

निविदाकार का हस्ताक्षर

DANTESHWARI MAIYA SAHAKARI SHAKKAR KARKHANA MARYADIT,BALOD CHHATTISHGARH TENDOR FOR SEASON 2025-26									
Sr.	**Department**	**SOR**	**Year**	**Itam Code**	**Description/Specification of work**	**Unit**	**Rate**	**Qty Req.**	**Amount**
1	DMSSK	NS	2025	2WC1	50 KG Sugar Bags (weighted and Stitched) Collected from Sugar House of Slate Conveyor after that load on own tractor trolley and unload in sugar godown, grade wise stacking in Sugar godown.(One year experience of sugar factory)	quintal		1	
2	DMSSK	NS	2025	2WC2	When any technical problem in sugar grader machine then collect sugar from hopper and Performing the task of Filling of sugar in 50 KG PP Bag, weighing of 50 KG sugar Bag, stitching of sugar bag and shifting of 50 kg sugar bag from sugar house to sugar godown by tractor trolley and stacking of sugar bag with help of stacker grade wise in sugar godawn. (Per 50kg bag) (One year experience of sugar factory)	quintal		1	
3	DMSSK	NS	2025	2WC3	Loading sugar from sugar godawn in own cart/ tractor/ truck, cleanliness of sugar godown, security of sugar lot etc work. (Per 50kg bag) (One year experience of sugar factory)	quintal		1	
4	DMSSK	NS	2025	2WC4	Rebagging of damaged sugar into bag in godown (bag packing, weighing, stitching, re lot etc work). (Per 50kg bag) (One year experience of sugar factory)	quintal		1	
5	DMSSK	NS	2025	2WC5	Previous year Scrape sugar collected near hopper no 03 is to be reprocess in C megma mixture (Per 50kg bag) (One year experience of sugar factory)	quintal		1	
6	DMSSK	NS	2025	2WC6	At the end of crushing season 2025-26 brown sugar production from contineous machine is to be filled in 50 kg PP bag, weighing, stiching & shifting from machine side to sugar godawn by tractor trolley and stacking in godwan.(Per 50kg bag) (One year experience of sugar factory)	quintal		1	
7	DMSSK	NS	2025	2WC7	Previous year brown sugar or damaged sugar which is stocked in sugar godwan is to be loaded in own tractor trolley and weighing on weight bridge and shifting near contineous machine and brake in small particals and melting in C megma mixture. (Per 50kg bag) (One year experience of sugar factory)	quintal		1	
8	DMSSK	NS	2025	2WC8	After crushing season 2025-26 boiling house, centrifugal, dryer house, all the dry and wet sugar is to be collected in filled in 50 kg pp bag and all the equipment (pan crystilizer machine tank hopper grader etc.) Is to be scrapped and scrap sugar is to be collected near hopper no 03. (Per 50kg bag) (One year experience of sugar factory)	quintal		1	
9	DMSSK	NS	2025	2WC9	After crusing season 2025-26, boiling house, centrifugal, dryer house all the pan, (quad Body, clarifire lime tank Sulfiter crystlizer and machine etc. complite boiling house including roof and floor & washing with water after scraping of sugar. (One year experience of sugar factory)	NO		1	
10	DMSSK	NS	2025	2WC10	Lime, sulphur and other material unloading and Deliver to designated point work. (One year experience of sugar factory)	TON		1	
11	DMSSK	NS	2025	2WC11	Lime, Sulphur shifting from godawn to consumption point and Feeding Work. (One year experience of sugar factory)	per month		1	
12	DMSSK	NS	2025	2WC12	Juice heater and vapour line juice heater tubes cleaning work during and end of season 2025-26 juice heater tube cleaning no. of tube 320/ heater lenghth of tube 4 mtr. (Rate quoted per juice heater)	NO		1	
13	DMSSK	NS	2025	2WC13	Semi kestner tubes cleaning work during and end of season no. of tube 1316 length 4500 mm. (rate per semi kestner).	NO		1	
14	DMSSK	NS	2025	2WC14	first quad body, tube cleaning work during and end of season no. of tubes 3324 length 2000 mm. (rate per quad body).	NO		1	

15	DMSSK	NS	2025	2WC15	Second quad body tube cleaning work during and end of season no. tubes 1504 length 2000 mm. (rate per quad body).	NO		1	
16	DMSSK	NS	2025	2WC16	Third quad body tube cleaning work during and end of season no. tubes 940 length 2000 mm. (rate per quad body).	NO		1	
17	DMSSK	NS	2025	2WC17	Pan tubes cleaning work, number of pan 4 number of tube in per pan 1100 amp; 759mm length. (Rate per pan) for time of general cleaning and end of season.	NO		1	
18	DMSSK	NS	2025	2WC18	Near Cane Carrier Remaining Sugar Cane Is To Be Dumped In Carrier And Cleaning Of Sorrounding Area Work And Sugar Cane Unloading From Tractor Truck Etc. Work (Daily Wages Worker Is To Be Employed) 07 Worker Per Shift Is To Be Employed From Start Of The Factory Till Crushing End. Number of worker will be increased due to work load.	per mounth		1	